।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 36/2022(मैन्यूअल) 2022/48 (GCMS)

अपीलांट **रेस्पोडेंट**

श्री हनीफ खां पुत्र सतुईया खां निवासी ग्राम संग्राम की ढाणी (रीवड़ी) तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

बनाम

1. श्री गाजी खां पुत्र बरसे खां
2. श्री मठार खां पुत्र बरसे खां जाति मुसलमान निवासी भींयासर तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ ।

उपस्थित

1. श्री रेवन्त सिंह (अधिवक्ता अपीलाण्ट)
2. श्री अब्दुल रहमान मेहर (अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2)
3. पैरोकार राज

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

निर्णय दिनांक **20.08.2025**

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा ग्राम भींयासर के नामान्तरकरण संख्या 629 दिनांक 04.07.2018 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि प्रार्थी अपीलाण्ट की ग्राम भींयासर के खसरा नम्बर 13 के रकबा 66–16 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया गया था, पटवारी हल्का एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किए गैरकानूनी रुप से विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज किया गया है जिससे व्यथित होकर नामान्तरकरण खारिज किए जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि अपीलाण्ट की कब्जाशुदा भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 द्वारा फर्जी निर्णय के कागज बनाकर राजस्व मूल वाद संख्या 16/2008 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के पीठासीन अधिकारी जयसिंह आर.ए.एस के निर्णय दिनांक 19.06.2014 को बताकर फर्जी कागजात के आधार पर नामान्तरकरण कराया गया जो सरासर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखली किए जाने के संबंध में अवगत कराये जाने पर अपीलाण्ट को उक्त जानकारी होने पर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ से उक्त निर्णय की प्रतिलिपि चाही जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त मुकदमा संख्या में इस नाम की कोई पत्रावली नही होना अवगत कराया गया, इस पर अपीलाण्ट द्वारा तहसील कार्यालय एवं राजस्व अधिकारियों से पूछताछ करने पर इस तरह के फर्जी निर्णय के आधार पर लोगो द्वारा जमीने अपने नाम करवाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई। न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ में आलोच्य नामान्तरकरण में वर्णित वाद संख्या 16/2008 निर्णय दिनांक 19.06.2014 से संबंधित कोई पत्रावली नही होने से आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट प्राईवेट व्यक्ति है जिसका अपीलाधीन भूमि में कोई हित एवं अधिकार नही है, अपीलाधीन आदेश के संबंध में प्राईवेट व्यक्ति को अपील का विधिक अधिकार नही होने से अपील कानूनी बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट पक्षकार नही है, बिना पक्षकार अपील किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपील करने के विधिक प्रावधान नही है। अतः अपील विधिक अधिकार नही होने से पोषनीय नही है, अपील प्रारम्भिक स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 36/2022(मैन्यूअल) 2022/48 (GCMS)

उभयपक्षों को सुना गया। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किये जाने पर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का विनिश्चय किया गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2008 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2014 के द्वारा प्रदत्त खातेदारी अधिकार एवं तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक राजस्व/235 दिनांक 04.072018 के क्रम में खोला गया है जो विधि अनुरुप होने से अपील अपीलाण्ट खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षों की बहस पर मनन एवं प्रकरण के संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के द्वारा पत्रांक 762 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व वाद संख्या 16/2008 अनवान केशराराम बनाम शोभा दर्ज है। अपीलाण्ट के द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ को मुकदमा संख्या 16/2008 अनवान गाजी खां बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पृष्ठांकन में अंकित रिपोर्ट अनुसार उक्त वाद केशराराम बनाम शोभा से संबंधित है। नामान्तरकरण पत्रावली अनुसार रेस्पोडेन्ट गाजी, मठार पुत्र बरसे खां को खातेदार दर्ज किया गया है जबकि उक्त स्थिति अनुसार गाजी, मठार के द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के समक्ष कोई वाद दर्ज नही होना पाया जाता है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा आलोच्य आदेश एवं नामान्तरकरण के संबंध में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए है। अतः उक्त विवेचित स्थिति से स्पष्ट होता है कि आलोच्य नामान्तरकरण कूटरचित एवं मिथ्या आधार खोला जाना पाया जाता है। अतः उक्त तथ्यों एवं विवेचित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि विवादग्रस्त भूमि आलोच्य नामान्तकरण से पूर्व राजकीय सिवायचक भूमि है तथा उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट को हक एवं अधिकार प्राप्त होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर किसी प्रकार का अभिलेख संधारण नही होने से मिथ्या एवं कूटरचित आधार पर विवादग्रस्त भूमि के हक एवं अधिकार रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्राप्त किए जाने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के **नामान्तरकरण संख्या 629 ग्राम भींयासर एवं उक्त आधार पर खोले गये समस्त पश्चातवर्ती नामान्तकरणो को अपास्त किया जाता है।** धीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ विवादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में पूर्वानुसार राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार तत्काल प्राप्त करें। तहसीलदार फतेहगढ को निर्देशित किया जाता है कि आलोच्य नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व दस्तावेज की जॉच एवं विधिवत रेकर्ड/नामान्तकरण पत्रावली का संधारण नहीं किये जाने के संबंध में संलिप्त राजस्व अधिकारी, जॉच अधिकारी एवं हल्का पटवारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करावें। उभय पक्ष अपना अपना व्यय स्वंय वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर